

कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

कार्यालय आदेश

इस कार्यालय के आदेश क्रमांक शिविरा/माध्य/संस्था/बी-2/45002/प्रधाना./स्था./2019 दिनांक 29.09.2019 द्वारा श्री खेमराज गोयल, प्रधानाचार्य राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय एड अमर सिंह, सिणधरी जिला बाडमेर का स्थानान्तरण राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय धारासर जिला बाडमेर किया गया था जिसके विरुद्ध श्री गोयल द्वारा माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर में एस. बी.सिविल याचिका संख्या 15236/2019 खेमराज गोयल बनाम राजस्थान राज्य व अन्य दायर की गई।

याचिका संख्या 15236/2019 में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 04.10.2019 द्वारा याचिकार्थी श्री खेमराज गोयल को अपनी व्यक्तिगत कठिनाईयों के सम्बन्ध में प्रत्यर्थी विभाग के सक्षम अधिकारी के समक्ष अपना अभ्यावेदन पेश करने और प्रत्यर्थी विभाग के सक्षम अधिकारी द्वारा उपर्युक्त आशय का अभ्यावेदन प्राप्त होने पर उसे विधि अनुसार एक सकारण आख्यात्मक आदेश (REASONED SPEAKING ORDER) प्रसारित करते हुए 30 दिवस के भीतर निस्तारित करने सम्बन्धी आदेश प्रदान किये गए।

माननीय न्यायालय निर्णय के क्रम में याचिकार्थी द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन में स्वयं द्वारा विद्यालय हित में किये गए कार्यों एवं अपनी प्रतिकूल पारिवारिक परिस्थितियों को मददेनजर रखते हुए अपना पदस्थापन राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय बोडवा, बाडमेर या राउमावि निम्बलकोट, बाडमेर अथवा राउमावि कौशल जिला बाडमेर में प्रधानाचार्य के पद पर किये जाने की मांग की गई।

याचिकार्थी के अभ्यावेदन का माननीय न्यायालय निर्णय एवं राज्य सरकार व विभाग के दिशा-निर्देशों/नियमों/परिपत्रों के परिप्रेक्ष्य में परीक्षण किया गया एवं उनकी मांग पर विचार किया गया। याचिकार्थी की प्रतिकूल पारिवारिक परिस्थितियों एवं व्यक्तिगत कठिनाईयों को मददेनजर रखते हुए उनका समायोजन/पदस्थापन राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, निम्बलकोट जिला बाडमेर में प्रधानाचार्य के रिक्त पद पर किया जाकर अभ्यावेदन निस्तारित किया जाता है। श्री खेमराज गोयल को निर्देशित किया जाता है कि वे उक्त आदेश की अनुपालना में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय निम्बलकोट जिला बाडमेर में प्रधानाचार्य के पद पर दिनांक 28.10.2019 तक आवश्यक रूप से कार्यग्रहण करें अन्यथा उनके विरुद्ध राजस्थान असैनिक सेवाएं (वर्गीकरण, नियन्त्रण एवं अपील) नियम 1958 के नियम-17 के अन्तर्गत कठोर अनुशासनात्मक कार्यवाही अमल में लायी जावेगी। सम्बन्धित सूचित हों।



(नथमल डिडेल)

आई.ए.एस

निदेशक माध्यमिक शिक्षा
राजस्थान, बीकानेर

क्रमांक: शिविरा-मा./संस्था/बी-2/एसबीसिया/खेमराज/15236/2019 दिनांक 25.10.19

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय शिक्षा राज्य मंत्री (स्वतन्त्र प्रभार) प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, स्कूल शिक्षा एवं भाषा विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
3. संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा, जोधपुर संभाग, जोधपुर।
4. मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी, बाडमेर।
5. जिला शिक्षा अधिकारी, (मुख्यालय) माध्यमिक, बाडमेर।
6. सम्बन्धित मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी, को निर्देशित किया जाता है कि वे आदेश की पालना तत्काल सुनिश्चित करावें।
7. जिला शिक्षा अधिकारी (विधि) माध्यमिक, जोधपुर।
8. सहायक निदेशक, विधि अनुभाग कार्यालय हाजा।
9. सिस्टम एनालिस्ट कम्प्यूटर अनुभाग को विभागीय वैबसाइट पर अपलोड हेतु।
10. खेमराज गोयल, प्रधानाचार्य को आदेश की पालनार्थ।
11. निजी/रक्षित पत्रावली।



संयुक्त निदेशक(कार्मिक)